

ज्ञारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल  
सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/  
मुख्य अभियंता, चापिडल कम्पलेक्स / ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड।

राँची, दिनांक : 20/02/2020

विषय :-

विषय :— वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमांडलों को सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 963.36 लाख (रु. नौ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है  
(लाख रु. में)

क्र.	माँग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2019-20 का संशोधित बजट उपयंथ	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य,/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12—ए.आई.वी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49C470080796120545	29875.00	20366.380	0.000	20366.380
2.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12—ए.आई.वी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49C470080789120545	13875.00	2792.470	963.36	3755.834
3.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य,/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12—ए.आई.वी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796120545	11875.00	4851.922	0.000	4851.922
4.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12—ए.आई.वी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080789120545	3875.00	2425.961	0.000	2425.961
5.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य,/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796130545	14000.00	6596.934	0.000	6596.934
6.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080789130545	12700.00	9144.849	0.000	9144.849
7.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य,/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	11—उडीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796110545	60.00	0.000	0.000	0.000
			कुल	86260.00	46178.516	963.36	47141.876
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च, 2019 तक योजना पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल निर्गत आवंटन	योजना पर कुल निर्गत आवंटन			
	661374.00	612649.740	47141.876	659791.616			

वर्तमान आवंटित राशि — ₹ नौ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (आभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में			अम्युक्ति	
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	लघु वितरणी प्र० सं०-४, गालूड़ीह (JSRIRR072)	49C470080789120545	चांडिल कॉम्प्लेक्स ईचा- गालूड़ीह/ ईचा- गालूड़ीह/ चांडिल कॉम्प्लेक्स सुवर्णिया बहुदेशीय परियोजना	661374.00	612649.74	0.00	550.00	550.00	84024	विभागीय पत्रांक-813, दिनांक 24.06. 2019 द्वारा अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्यास आदित्यपुर, जमशेदपुर कार्यालय हेतु स्वीकृत कार्यक्रम के विरुद्ध व्यय हेतु।	
2.	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-५ डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)					0.00	10.36	10.36	84025		
3.	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-२ डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR009)					0.00	3.00	3.00	84026		
4.	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल गालूड़ीह (JSRIRR008)					0.00	200.00	200.00	84027		
5.	गालूड़ीह दायां नहर प्रमंडल सं०-१, मुसाबनी, शिविर गालूड़ीह (JSRIRR039)					0.00	200.00	200.00	84028		
						योग	0.00	963.36	963.36		

3. आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 13875.00 लाख (₹ एक सौ अड्डीस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० रवी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका-2 के स्तंभ-10 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

*31/02/20*  
 (अमिताभ कौशल)  
 सचिव

ज्ञापांक :— 255

राँची, दिनांक :— 20/02/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. — हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला—खरसौवा/चाईबासा/चापिडल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*31/02/20*  
 (अमिताभ कौशल)  
 सचिव

ज्ञापांक :— 255

राँची, दिनांक :— 20/02/2020

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
 (राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

*[Signature]*  
 (सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
 संयुक्त सचिव

*31/02/20*  
 (अमिताभ कौशल)  
 सचिव